न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मप्र , ग्वालियर मध्यप्रदेश

I/विविध/शिवपुरी/भू.रा/2018/2307

प्र.क. /2018–2/निगरानी/विविध

अनिलकुमार पुत्र बालकिशन, वरिष्ठनागरिक
निवासी निजीनवग्रहमंदिरकेपीछे कमलागंज शिवपुरी — आवेदक
बनाम
म. प्र. शासन ———— अनावेदक

आवेदन अतंगत धारा 32 एवं 42 सहपठित धारा 8 मप्र भू राजस्व संहिता 1959

माननीय राजस्वमण्डल के आदेश दि. 06/6/17 रिव्यू 1411/2/17 के तार्यतम में

माननीय महोदय,

आवेदक का आवेदन मूलनिगरानी प्रकरण 2893/2/16 के आगामीनिराकरण हेतु निम्नानुसार प्रस्तुत है:–

1. यहकि, माननीय राजस्वमण्डल द्वारा रिव्यूप्रकरण क्र. 1411/2/17 में पारित आदेश दि. 06/6/17 के तार्यतम में आवेदक की मूलनिगरानी कीयथापूर्वत:स्थिति होजानेसे अंतिम निराकरण हेतु सुनवाई दिनांक निर्धारित कियाजाना विधि की आवश्यकता है।

2. यह कि, आवेदक के सन् 1860 वंशानुगत स्वत्वस्वामित्व एवं अधिकारिता की भूमि **सर्वे क. 211, 212, 213, 214, 215** स्थिति शिवपुरी है जिसकेसंबंधमें तहसीलदार शिवपुरी के निर्णय **दिनांक 30/03/1963** में आवेदककेपूर्वजों द्वारा **संवत् 1917 (सन् 1860) से संवत् 2019 (सन् 1962)** यानी **102 वर्षो के उक्त सर्वे नम्बरान 211 से 215 के स्वत्वस्वामित्व एवं आधिपत्य संबंधी मूल अभिलेख खसरे आदि प्रस्तुत किये गये** एवं इसी तार्यतम में **सिविल न्यायालय शिवपुरी के निर्णय दि. 19/4/1965 से भी सर्वे क. 211 लगायत 215** के स्वत्वस्वामित्व एवं अधिकारिता की आवेदककेपिता बालकिशन केस्वत्वस्वामित्व केहीहोना निर्णित है जिसकी पुष्टी ऐडीजे शिवपुरी के निर्णय दि. 10/12/1965 से एवं **माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दि. 21/7/1969 एवं डीबी निर्णय दि. 11/5/2011 प्र.क. एमसीसी 155/2011** द्वाराभीकीगई। आवेदक को विभिन्न वर्षो के खसरे एवं **अधिकार अभिलेख वर्ष 1972–73** प्रदत्त है जिसमें भी **211 से 215 आवेदक के स्वामित्व के होना प्रमाणित है। इसप्रकार भूमि सर्वे क. 211,212,213,214,215 का आवेदक का वंशानुगत स्वत्वस्वामित्व आधिपत्य सन् 1860 से वर्तमान तक यानि 156 वर्षा से, तहसील न्यायालय से लेकर माननीय राजस्व मण्डल तक से एवं सिविल न्यायालय से लेकर माननीय उच्च न्यायालय तक के निर्णयों में निरविवादरुपसे प्रमाणित है।**

3. **यहकि, माननीय** उच्चन्यायालय के उक्तआदेशों के उपरान्त भी एसडीओ शिवपुरी ने प्रक. 2/15–16/बी–129 मप्र शासन बनाम अनिलकुमार बिनाकोई सूचनासुनवाई दर्जकर मनामानी एकपक्षीयकार्यवाहीकर सर्वे क. 214 –215 की भूमि बिनाकिसी रिकोर्ड आदि के नगरपालिका में हस्तगतकरदी जिसका एसडीओ को कोई अधिकार प्राप्त नही था। इसआदेश के विरुध निगरानी प्रक. 2893/2/16 मण्डल में प्रस्तुत कियागया जिसमें स्थगनप्रदानकर एसडीओ एवं तहसीलदारसे रिकार्ड आहुत कियागया जो प्रस्तुत नही हुआ दि. 01/4/17 को यकायक मण्डल द्वारा प्रकरण को कालपनिक आदेशों के आधारपर अग्राहमकियागया जिसका रिव्यू प्रस्तुतकियेजानेपर मण्डलद्वारा हुई गंभीरविधिकत्रुटि को दि. 06/6/17 को संज्ञानितकरतेहुये आदेश दि. 01/4/17 को निरस्तकिया गया। जिससे आवेदक की मूलनिगरानी यथापूर्वस्थिति में आजानेसे उसके निराकरण हेतु आगामी सुनवाई दिनांक निर्धारित कियाजाना विधिकीआवश्यकता है। आवेदन पूर्वमें दि. 11/8/17 एवं अन्यमेंप्रस्तुत कियागया जो मण्डल में मिसप्लेस बतायेजानेसे पुन:प्रस्तुत है।

अतः विनम्र निवेदन है कि, दि. 06/6/17 के आदेश से निर्मित विधिस्थिति के तहत मूलनिगरानी को अंतिमनिराकरण हेतु सुनवाई में लियेजाने बावत आगामी दिनांक दियेजाने की न्यायहित में कृपाकरे।

ग्वालियर दि. 02/04/18

आवेदक– अनिलकुमारसीनियरसिटीजन शिवपुरी

अनिल सिंघल, आवेदक
दि. 2-4-18 को प्रारंभिक तर्क हेतु 17-4-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर
अग्रिम प्रति ... प्रति 02
पृष्ठ क्र. 01
दिनांक 03/4/18
हस्ताक्षर व नाम

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/विविध/शिवपुरी/भू.रा./2018/2307

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28/8/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया। यह प्रकरण इस न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक रिव्यु-1411-दो/17 में पारित आदेश दिनांक 06.06.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि आवेदक अधिवक्ता द्वारा आलोच्य आदेश में जिन तथ्यों को इंगित किया गया था, उनका निराकरण तत्कालीन सदस्य द्वारा मूल निगरानी प्रकरण क्रमांक 2893-दो/2016 में पारित आदेश दिनांक 01.04.2017 द्वारा पूर्व में ही किया जा चुका है। उक्त आधारों पर तत्कालीन सदस्य द्वारा रिव्यु अग्राह्य करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा ऐसे कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, जिससे कि यह यह प्रकरण ग्राह्य किया जा सके। दर्शित परिस्थिति में यह विविध प्रकरण आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है। **प्रशासकीय सदस्य**	